



क्रमांक / 2021-22 / 1549

दिनांक / २१/०३/२०२२

विज्ञप्ति संख्या 03 / 2021-22

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता झुन्झुनूं कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जिसके लिए साथिन चयन किया जाना है।
1.	खेतड़ी	1. त्यौन्दा
2.	पिलानी	1. बजावा 2. बनगोठड़ी कलां
3.	सुरजगढ़	1. कुलोठकलां
4.	नवलगढ़	1. तोगड़ाकलां

- आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
- साथिन हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण एवं विवाहित होना अनिवार्य है। उक्त मानदेय कर्मी साथिन पद पूर्णतः स्वैच्छिक है एवं विभागीय परिपत्र 22430 दिनांक 05.07.2017 संशोधित परिपत्र 26652 दिनांक 04.09.2019 एवं 25622 दिनांक 28.10.2020 एवं 30366 दिनांक 17.12.2020 की शर्तों व विभागीय निर्देशों के अध्याधीन है।
- आवेदक अपने फार्म के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/ मूल निवास प्रमाण-पत्र/ जाति प्रमाण-पत्र/ आयु प्रमाण-पत्र/ विवाह प्रमाण-पत्र/ विधवा प्रमाण-पत्र/ तलाकशुदा प्रमाण-पत्र / अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र/ आर.एस.सी.आई.टी प्रमाण-पत्र/ कार्यानुभव प्रमाण-पत्र/ बी.पी.एल प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों, जिनके आधार पर चयन हेतु मेरिट सूची के लिए अंक का दावा किया जा रहा है, की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- चयन परिपत्र 22430 दिनांक 05.07.2017 के परिशिष्ट "ब" पर दिये गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्ड अनुसार होगा।
- विज्ञप्ति जारी होनी की तिथि तक आवेदक की आयु 21-35 वर्ष होगी। लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 21-40 वर्ष तथा विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के लिए 21-45 वर्ष होगी।
- आवेदन फार्म कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता झुन्झुनूं अथवा विभागीय वेबसाइट <http://www.wcd.rajasthan.gov.in> से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में स्वयं के प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति सहित इस कार्यालय में व्यक्तिशः/ अथवा अन्य माध्यम से दिनांक 11.04.2022 को सांय 05.00 बजे तक जमा करा सकेगी। सांय 05.00 बजे पश्चात प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।



राजस्थान सरकार


कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं

E-mail: jhunjhunu.we@rajasthan.gov.in

Phone No. 01592-237148

15
YEARS OF
CELEBRATING
THE MAHATMA

8. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।
9. जिन ग्राम पंचायतों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है। इस संबंध में आवेदक को संबन्धित वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। उन ग्राम पंचायतों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किये जाने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत का होगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र चयन प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत द्वारा अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
10. एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्नक संलग्न किये जाने की अनुमति नहीं होगी।
11. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उप निदेशक महिला अधिकारिता झुन्झुनूं कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


(विप्लव चौला)

उप निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग

झुन्झुनूं

दिनांक/२१/०३/२०२२

क्रमांक / 2021-22 / 1550

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सहायक, आयुक्त, निदेशालय महिला अधिकारिता राज0 जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् झुन्झुनूं।
3. उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग झुन्झुनूं।
4. विकास अधिकारी सम्बन्धित.....जिला झुन्झुनूं।
5. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत, झुन्झुनूं।
6. प्रोग्रामर निदेशालय महिला अधिकारिता जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झुन्झुनूं।
8. सुपरवाइजर सम्बन्धित....., जिला झुन्झुनूं।
9. नोटिस बोर्ड।
10. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग

झुन्झुनूं